तमिलनाडु राज्य और अन्य

बनाम

एम. एन. सुंदराजन

19 अगस्त, 1980

[आर. एस. सरकारिया और आर. एस. पाठक, जे.जे.]

सिविल सेवाएँ - नियुक्ति करने की शक्ति जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति द्वारा नियुक्ति को समाप्त करने की शक्ति शामिल है या नहीं।

मौलिक नियम, एफ.आर.56(डी) - राज्य सचिवालय में अनुभाग अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति – जी.ओ. यह प्रावधान करते हुए कि समीक्षा समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे - विभागीय सचिव समिति के प्रमुख होंगे - समिति का 'निर्णय ' - वैधता।

27 जून, 1973 से पूर्व, तमिलनाडु सचिवालय में एक अनुभाग अधिकारी गैर-राजपत्रित अधिकारी हुआ करता था। सरकार ने 13 जून, 1973 के आदेश जी. ओ. एम्एस संख्या 1616, लोक (सेवा जे.) द्वारा सचिवालय के अधीक्षक के पद को राजपत्रित पद बना दिया और इसे अनुभाग अधिकारी के रूप में नामित किया, और सरकारी आदेश संख्या 1782 लोक (सेवा जे.) दिनांक 27 जून, 1973 द्वारा, प्रावधान किया गया था कि नियुक्तियों, स्थानांतरणों, नियुक्ति दंड और वेतन के आहरण से

संबंधित सभी मामलों में, उन्हें अगले आदेश तक राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के रूप में माना जाता रहेगा।

प्रतिवादी को वर्ष 1943 में भारतीय सेना में क्लर्क के रूप में भर्ती किया गया था और विमुद्रीकरण के बाद मार्च 1948 से राज्य सरकार (अपीलार्थी) के राजस्व सचिवालय में नियुक्त किया गया था। अप्रैल 1969 में उसे अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया और वह 2 मार्च, 1976 तक इस पद पर बना रहा, जब वह मौलिक नियम 56 (डी) के तहत अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त किया गया।

प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि 19 मार्च, 1973 की जी.ओ. संख्या 761 में निर्धारित प्रक्रिया में यह परिकल्पना की गई थी कि सचिवालय में राजपत्रित सरकारी अधिकारियों के मामलों पर विचार करने वाली समीक्षा समिति का नेतृत्व मुख्य सचिव को करना चाहिए और न कि विभागीय सचिव को और चूंकि उनके मामले की समीक्षा करने वाली समिति का नेतृत्व विभागीय सचिव कर रहे थे, इसलिए उल्लंघन ने सेवानिवृत्ति आदेश को दूषित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और सेवानिवृत्ति आदेश को रद्द कर दिया।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि हालांकि 27 जून, 1973 के G0.No.1782 सार्वजनिक (सेवा-I) के तहत, सभी अधीक्षकों या अनुभाग अधिकारियों को नियुक्तियों जैसे मामलों

में राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया था। , स्थानांतरण और पोस्टिंग में उन्हें अराजपत्रित अधिकारी माना जाता रहा और विभागीय सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा समिति का गठन वैध था। यह भी तर्क दिया गया कि उपरोक्त आदेश में, 'नियुक्ति' शब्द में अनिवार्य 'सेवानिवृत्ति' भी शामिल है।

प्रतिवादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि 27 जून, 1973 के आदेश में 'नियुक्तियां' शब्द का अर्थ 'सेवानिवृत्ति' या 'सेवा की समाप्ति' के रूप में नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यदि यही इरादा होता तो सरकारी आदेश में 'नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदस्थापन और दण्ड' शब्दों के साथ 'सेवानिवृत्ति' या 'समाप्ति' शब्द जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती और परिणामस्वरूप इस अभिव्यक्ति पर एक प्रतिबंधित व्याख्या रखी जानी चाहिए।

अपील स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया:

1. उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है और प्रतिवादी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति बरकरार रखी जाती है। [475 एच]

2. जब तक कि संदर्भ से एक विपरीत इरादा प्रकट नहीं होता है, नियुक्त करने की शक्ति सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति द्वारा समाप्ति सहित नियुक्ति को समाप्त करने की शक्ति शामिल होनी चाहिए। यह मौलिक सिद्धांत सामान्य खंड अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत आता है। [474 एच-475 ए]

3. अनिवार्य सेवानिवृत्ति या अन्यथा नियुक्ति को समाप्त करने की शक्ति नियुक्ति की शक्ति का एक आवश्यक सहायक है और उस शक्ति की घटना या परिणाम के रूप में प्रयोग की जाती है। 27 जून 1973 के सरकारी आदेश संख्या 1782 में कुछ भी निर्माण के इस नियम के विरुद्ध नहीं है। [475 बी]

4. समीक्षा समिति के 'निर्णय' में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं थी। 'निर्णय' महज़ सिफ़ारिशें थीं जिनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं था और न हो सकता था। समीक्षा समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार करने या न मानने तथा प्रभावी और निश्चित निर्णय लेने की अंतिम शक्ति सरकार में निहित है। भले ही समीक्षा समिति के गठन में कुछ अनियमितता थी, लेकिन वह अपने आप में प्रतिवादी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को दूषित करने का प्रभाव नहीं डाल सकती थी। [475 ई-एफ]

तत्काल मामले में यह अकेले प्रतिवादी (अनुभाग अधिकारी की श्रेणी से) नहीं था जिनके प्रश्नगत मामले की समीक्षा समीक्षा समिति द्वारा की गई थी। सचिवालय के सभी अनुभाग अधिकारियों के मामलों की समीक्षा उसी समिति द्वारा की गई थी। इसलिए प्रतिवादी को एक के लिए अलग विभेदकारी उपचार नहीं किया गया था । [475 जी]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1743/1980

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. संख्या 886/77 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24-4-1979 से उत्पन्न विशेष अनुमति द्वारा अपील।

के. परासरन, सॉलिसिटर जनरल और ए.वी. रंगम, अपीलार्थी की और से।

वी. श्रीनिवासन, चंद्रशेखरन और ए. टी. एम. संपत, प्रतिवादी की और से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

सरकारिया, न्यायाधिपति. -

विशेष अनुमति द्वारा अपील अनुदत्त की गई।

यहाँ प्रतिवादी, एम.एन. सुंदरराजन को भारतीय सेना में वर्ष 1943 में लिपिक के रूप में भर्ती किया गया था। रेजिमेंट के विघटित होने के कुछ समय बाद, उन्हें मार्च, 1948 से राज्य सरकार के राजस्व सचिवालय में युद्ध वरिष्ठ-सेवा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित एक रिक्ति पर नियुक्त किया गया था। उन्हें अप्रैल, 1969 में अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था और वह 2 मार्च, 1976 तक इस पद पर बने रहे, जब उन्हें मौलिक नियम 56 (डी) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता-राज्य द्वारा सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

प्रत्यर्थी ने मद्रास उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश की वैधता को चुनौती दी। चुनौती का एक आधार यह था कि 19 मार्च, 1973 की जी. ओ. संख्या 761 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, समीक्षा समिति को राजपत्रित सरकारी अधिकारियों के मामलों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले सचिवालय में विचार करना होता है, न कि विभागीय सचिव द्वारा। और यह कि, इसलिए, अपीलकर्ता-राज्य द्वारा पारित आदेश एक समिति द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर, जिसकी कोई अधिकारिता नहीं थी, कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।

डब्ल्यू. पी. 1547/1977 (द जवाहर मिल्स का मामला) में पूर्व में दिए गए निर्णय का अनुसार करते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि चूंकि जिस समिति ने प्रत्यर्थी के मामले की समीक्षा की, वह 19 मार्च, 1973 की जी. ओ. संख्या 761 के तहत विधिवत गठित समिति नहीं थी और इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा नहीं की गई थी, जिससे 19 मार्च 1973 के जीओ नंबर 761 में सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन था और, इस उल्लंघन ने सरकार द्वारा पारित आदेश को दूषित कर दिया था। परिणामस्वरूप, रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया और विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया। अत: विशेष अनुमति द्वारा यह अपील।

अपीलकर्ता-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर-जनरल का मुख्य तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने संबंधित सरकारी आदेशों के

आयात की सही ढंग से सराहना नहीं की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सरकारी आदेश संख्या 1782 सार्वजनिक (सेवा-जे), दिनांक 27 जून 1973 के तहत, सभी अधीक्षकों या अनुभाग अधिकारियों को 13 जून 1973 से राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया था। "लेकिन, नियुक्तियों, तबादलों, पोस्टिंग, दंड और वेतन निकासी से संबंधित सभी मामलों में," उन्हें "अगले आदेश तक" अराजपत्रित सरकारी सेवक माना जाता रहेगा। यही कारण है कि, मौलिक नियम 56 (डी) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 27 जून 1973 के उपरोक्त सरकारी आदेश के अनुसार प्रतिवादी के मामले पर सचिवालय में गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के लिए गठित उपयुक्त समिति द्वारा विचार किया गया था। 27 जून, 1973 के उक्त सरकारी आदेश में, विद्वान सॉलिसिटर-जनरल के अनुसार, 'नियुक्ति' शब्द में अनिवार्य 'सेवानिवृत्ति' भी शामिल है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने मेनेजर गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस और अन्य बनाम डी. बी. बेलियप्पा (1979) 2 एस.सी.आर. 458 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चन्द्र मोहन निगम और अन्य (1978) 1 एस.सी.आर. 521 में इस न्यायालय के निर्णयों का सन्दर्भ दिया।

दूसरी ओर, श्री श्रीनिवासन ने, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होते हुए, प्रस्तुत किया कि जी. ओ. सं. 1782, दिनांक 27 जून 1973 में 'नियुक्तियाँ' शब्द को सेवा से 'सेवानिवृत्ति' या 'समाप्ति' को शामिल करने के लिए नहीं माना जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि यही इरादा

था, तो उस सरकारी आदेश में "नियुक्तियाँ, स्थानांतरण, पोस्टिंग और दंड" शब्दों के साथ 'सेवानिवृत्ति' या 'समाप्ति' शब्द जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह आग्रह किया जाता है कि इस अभिव्यक्ति पर एक प्रतिबंधित व्याख्या रखी जानी चाहिए।

इस प्रकार, जिस संक्षिप्त प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए वह है कि क्या उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी, जो उस समय राजपत्रित अधिकारी था, की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को केवल इस आधार पर अपास्त कर दिया था कि राजपत्रित अधिकारियों के लिए गठित समीक्षा समिति के अलावा किसी अन्य समीक्षा समिति ने इस पर विचार किया था?

परिप्रेक्ष्य के लिए, यह याद रखना आवश्यक है कि 27 जून, 1973 से पहले तमिलनाडु सचिवालय में एक अनुभाग अधिकारी गैर-राजपत्रित अधिकारी हुआ करते थे। 1972 में और इससे पूर्व, तमिलनाडु सचिवालय संघों और अन्य लोगों द्वारा कई अभ्यावेदन किए गए थे कि सचिवालय के अधीक्षकों को राजपत्रित दर्जा दिया जाना चाहिए। अंततः सरकार ने 13 जून, 1973 के आदेश, जी.ओ. एम्एस संख्या 1616, सार्वजनिक (सेवा-जे) द्वारा सचिवालय के अधीक्षक के पद को उस आदेश की तारीख से राजपत्रित पद बना दिया। ऐसे अधीक्षकों को अनुभाग अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। उपरोक्त जी.ओ. में कहा गया था कि उक्त नियम में संशोधन शीघ्र ही जारी किया जाना चाहिए। चूंकि नियमों के निर्माण में बहुत सारी प्रशासनिक जटिलताएं और अपरिहार्य देरी शामिल थी, इसलिए

सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि ऐसे नए नामित अनुभाग अधिकारियों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में, वे नियम जिनके तहत वे पहले कार्य कर रहे थे, अर्थात् गैर-अनुभागीय अधिकारियों के लिए लागू नियम। प्रशासनिक अव्यवस्था से बचने के लिए राजपत्रित सरकारी सेवकों को तब तक आवेदन करते रहना चाहिए जब तक सेवा नियम नहीं बन जाते। यह निर्णय सरकारी आदेश संख्या 1782, लोक (सेवा-जे), दिनांक 27 जून, 1973 का विषय था। इस आदेश का शुद्ध प्रभाव यह हुआ कि यद्यपि अधीक्षकों को राजपत्रित दर्जा दिया गया और उनके पदनाम 13 जून, 1973 से अनुभाग अधिकारियों में बदल दिये गये; लेकिन नियुक्तियों, तबादलों, पोस्टिंग, दंड और वेतन निकासी से संबंधित सभी मामलों में, उन्हें अगले आदेश तक अराजपत्रित सरकारी सेवक माना जाता रहेगा।

प्रश्न यह है कि क्या 13 जून, 1973 के इस सरकारी आदेश में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "नियुक्ति" में 'सेवा समाप्ति' या सेवा से 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' भी शामिल होगी। यह व्याख्या का एक मौलिक सिद्धांत है कि जब तक संदर्भ से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो, नियुक्ति की शक्ति में नियुक्ति को समाप्त करने की शक्ति शामिल होनी चाहिए, जिसमें नियुक्त व्यक्ति को उसकी सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति द्वारा समाप्त करना भी शामिल है। यह मौलिक सिद्धांत सामान्य खंड अधिनियम की धारा 16 का आधार है। दूसरे शब्दों में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या अन्यथा नियुक्ति को समाप्त करने की शक्ति नियुक्ति की शक्ति का एक आवश्यक

सहायक है और इसका प्रयोग शक्ति की घटना या परिणाम के रूप में किया जाता है। 27 जून 1973 के सरकारी आदेश संख्या 1782 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो निर्माण के इस नियम के अर्थान्वयन के विरुद्ध हो।

उपरोक्त 27 जून, 1973 के उक्त सरकारी आदेश में 'नियुक्ति' शब्द का वास्तविक निर्माण है, राजपत्रित दर्जा प्रदान किए जाने के बावजूद, प्रतिवादी अन्य बातों के साथ-साथ 'नियुक्ति' के मामले में शासित होता रहा, जो कि सचिवालय के अराजपत्रित अधिकारियों पर लागू नियमों और सरकारी आदेशों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति को भी शामिल किया गया है। और इसलिए, सचिवालय के अराजपत्रित अधिकारियों के मामलों की समीक्षा के लिए गठित एक विभागीय सचिव की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति, प्रतिवादी के मामले पर विचार करने और उनकी सेवानिवृत्ति की सिफारिश करने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी।

यह मानते हुए कि प्रतिवादी के मामले को देखने वाली समीक्षा समिति के गठन में कुछ अनियमितता थी, जो लागू आदेशों की वैधता को प्रभावित नहीं कर सकती। समीक्षा समिति के "निर्णयों" में कोई ज़ोरदार शक्ति नहीं थी। अधिक से अधिक 'निर्णय' महज़ सिफ़ारिशें थीं जिनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं था और हो भी नहीं सकता था। समीक्षा समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार करने या न मानने और मामले में प्रभावी और निश्चित निर्णय लेने की अंतिम शक्ति सरकार में निहित है। इस प्रकार, भले ही समीक्षा समिति के गठन में कुछ अनियमितता थी, जिसके कार्य पूरी

तरह से सलाहकारी थे, इसका अपने आप में सरकार द्वारा इसमें निहित शक्ति द्वारा पारित प्रतिवादी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को दूषित करने का प्रभाव नहीं हो सकता था।

इसके अलावा, यह केवल प्रतिवादी (अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी से) नहीं था जिसके मामले की समीक्षा समीक्षा समिति द्वारा की गई थी। सचिवालय के सभी अनुभाग अधिकारियों के मामलों की समीक्षा इसी समिति द्वारा की गई। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि प्रतिवादी को एक अंतर उपचार के लिए अलग किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 14 आकर्षित नहीं था और प्रतिवादी को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं हो सकती थी।

पूर्वगामी कारणों से, हम इस अपील की स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता हैं, और प्रतिवादी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा जाता है। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

एनवीके.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक **श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता** द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****